BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 47/2019
IN
ORIGINAL APPLICATION NO: 325/2018
(I.A. No. 745/2019)

Gaurav Kumar Bansal ... APPLICANT(s)

VERSUS

Union of India and other ...RESPONDENT(s)

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 07.02.2020, PASSED BY HON'BLE NGT

1. That in compliance to the order dated 07.02.2020 (copy enclosed, Annexure no. 1) passed by Hon'ble NGT the Status Report approved and made available by the Dy. Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department Government of Uttar Pradesh vide his later dated 08.05.2020 (copy enclosed, annexure no. 2) is enclosed herewith and submitted.
2. Proposal sent to National Board for wild life (NBWL) by the Special Secretary , Environment, Forest and climate change

Department, Government of Uttar Pradesh vide his letter dated 28.04.2020 (copy enclosed annexure no. 3) is also enclosed here with and submitted.

Enclosed-As above

30.05.2020

(DIKSHA BHANDARI)
Divisional Director
Social forestry division
Ghaziabad

Annexure-01

Item No. 02 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 47/2019
In
Original Application No. 325/2018
(I.A. No. 745/2019)

Gaurav Kumar Bansal Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 07.02.2020

CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE MR. SIDDHANTA DAS, EXPERT MEMBER

For Applicant(s) Mr. Gaurav Kumar Bansal, Advocate Applicant in person

For Respondent(s) Mr. Ajit Kumar Sinha, Sr. Advocate
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate
Mr. Rahul Pratap, Advocate
Mr. N. K. Janoo, CCF,Merrut

ORDER

A compliance report on behalf of respondent nos. 6 and 7 has been filed wherein it has been mentioned that Wildlife Institute of India (WII) had submitted its final report on 09th October, 2019 which was placed in the meeting of State Board for Wildlife (SBWL) held on 04th November, 2019. On 03rd December, 2019 the Chief Wildlife Warden submitted the proposal for rationalization of boundaries to the State Government. It was finally decided

that the proposal for rationalization of boundaries of SBWL be submitted to National Board for Wildlife (NBWL) for approval.

It is pertinent to note here that the Tribunal had while deciding the original application (325/2018) passed a final order on 31st May, 2019. Further, it was directed in the order that Notificaiton u/s 26 (A) of the Wildlife Protection Act, 1972, in respect of Hastinapur Wildlife Sanctuary, be issued within six months i.e. by 30th November, 2019. The compliance of the same was to be filed in the Registry of the Tribunal. After crossing of the deadline given to the respondents for compliance of order by 30th November, 2019, the instant execution application came to be filed on 12th December, 2019. Notices were issued on the said application on 18th December, 2019.

However, when the Tribunal passed the order on 24th January, 2020 stating that respondent nos. 6 and 7 shall file the status/compliance report by 03rd February, 2020, failing which the concerning officers shall remain present before the Tribunal that the report has been filed on 03rd February, 2020. The said report reveals that the Chief Wildlife Warden of UP had engaged WII, Dehradun on 30th September, 2018 to furnish a studly report namely; A Study to Assess Critical Wildlife Habitats in Hastinapur Wildlife Sanctuary, UP. The WII submitted the final report on 09th October, 2019 that is after more than a year. The

State Government took no steps to expedite the procedure, atleast after passing of the order of the Tribunal on 31st May, 2019.

It has also been submitted in the report that Chief Wildlife Warden has submitted the proposal for rationalisaiton to the State Government on 03rd December, 2019. In fact after submission of final report on 09th October, 2019 by approval of SBWL on 04th November, 2019, the Chief Wildlife Warden took another one month to send it to the State Government.

In the status report a request has been made to grant further period of two years to complete the process of rationalisaiton of the boundaries. Never before any such request was made and the State Government continued with the matter in a usual manner since 31st May, 2019. It is only now when we asked the officers to file the status report that they have for the first time sought time for completing the process.

In the aforesaid circumstances and looking to the fact that the respondents have failed to comply with our order wihin the time frame i.e. 30th November, 2019, we issue following directions:-

1. That the Principal Secretary Forest and Wildliffe, State of UP shall ensure that the proposal is sent to NBWL withing 21 days from today.

2. The Additional DG Wildlife, MOEF & CC is directed to complete the process at their level within 30 days after receving of proposal from the State Government.
3. The NBWL shall refer the matter back to the State Government for final notification immediately thereafter.
4. The State Government to issue final notificaitonn after receipt of the proposal from NBWL within 30 days.

We direct all the aforesaid authorities to complete the process within the time frame given above, failing which the Principal Secretary, Forest and Wildlife, State of Uttar Pradesh shall remain present before the Tribunal on 11th May, 2020. In case the notification is issued within time, the officer need not appear but a copy of the notification be filed in the Registry of the Tribunal.

List the matter on 11th May, 2020.

Justice Raghuvendra S. Rathore, JM

Dr.Satyawan Singh Garbyal, EM

Siddhanta Das, EM

JG

Annexure-02

26/05/20

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्टकेस
संख्या-428 /81-4-2020

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक मई, 2020

विषय- मा० राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-325/2018 गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3406/10-1(एन0जी0टी0/ओ0ए0 संख्या-325/2018) दिनांक 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत वाद के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध करायी गयी अद्यतन स्थिति(स्टेटस रिपोर्ट) को अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः उक्त के संबंध में अनुमोदित अद्यतन स्थिति(स्टेटस रिपोर्ट) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.02.2020 के आलोक में उक्त अद्यतन स्थिति (स्टेटस रिपोर्ट) मा0 अधिकरण में ससमय दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए वाद की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
(डॉ दीपक कोहली)
उप सचिव

संख्या व दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(डॉ दीपक कोहली)
उप सचिव

27/05/20

22.05.2020

O/C

OA No.- 325/2018 (I.A. No. 745/2019), Gaurav Kumar Bansal Versus Union of India & Ors. में माननीय एन.जी.टी. (NGT) के आदेश दिनांक– 07.02.2020 के क्रम में अध्यतन स्थिति (Status Report) दाखिल करने हेतु प्रस्ताव

1	माननीय एन.जी.टी. (NGT) के आदेश दिनांक– 07.02.2020 के क्रम मे प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एव वन्य जीव, जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक–02.03.2020 को बैठक की गयी।
2	उक्त आहूत बैठक मे सम्बन्धित जिलाधिकारियों को वांछित सूचना– यथा मप नव प्रस्तावित सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित गांवो के नाम तथा ग्रामो की सूची उपलब्ध कराते हुए अपेक्षा की गयी थी कि डब्लू0आई0आई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार में अधिकार का विनिश्चयन के सम्बन्ध मे तथा वन्य जीव विहार के प्रवन्धन में क्षेत्र की निरंतरता आदि पर अपना अभिमत/आख्या 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3	तत्क्रम मे जिलाधिकारी मेरठ ने पत्राक– 4672, दिनांक 19.03.2020, जिलाधिकारी बिजनौर ने पत्राक– 3484, दिनांक– 12.03.2020, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने पत्रांक– 4318/14-1/DFO/MZN, दिनाक 17.03.2020, जिलाधिकारी हापुड़ ने पत्रांक– 2973/14–1, दिनांक– 17.3.2020 एवं जिलाधिकारी अमरोहा ने पत्रांक– 2980/22–1, दिनांक 16.3.2020 के द्वारा उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में अभिमत/आख्या निम्नानुसार प्रेषित की गयी है:– 1– हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में डब्लू0आई0आई0, देहरादून (Wildlife Institute of India, Dehradun) के द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट, एक टेक्निकल रिपोर्ट है, जोकि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अतः रिपोर्ट से प्रेषित तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं है। 2– उक्तानुसार अपेक्षित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित ग्रामों की नयी सूची व मैप प्राप्त हो गये है। उसके अनुसार वन्य जीव विहार में "अधिकार का विनिश्चय" के सम्बन्ध में तथा वन्य जीव विहार के प्रवन्धन में क्षेत्र की निरन्तरता (Continuity) आदि के क्रियावन्यन किये जाने हेतु नेशनल बोर्ड फॉर वाईल्ड लाईफ (National Board for Wildlife) की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत वन्दोबस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी। 3– हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की पूर्व सीमा के अनुरूप पारिस्थितिक संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zones) की सीमा का निर्धारित हो गयी है। जिसका भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3723, दिनांक– 18 सितम्बर, 2018 के माध्यम से अधिसूचना/गजट नोफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण किये जाने पर यदि सीमा में परिवर्तन होता है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की पारिस्थितिक संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zones) के निर्धारण हेतु पुनः कार्यवाही किया जाना होगा।
4	तत्क्रम में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, लखनऊ ने पत्र संख्या– 385/81–4–2020–882/97, दिनांक– 28.04.2020 के माध्यम से हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव महा निरीक्षक, वाइल्ड लाईफ डिविजन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 22.03.2020 से देश भर में लॉक डाउन हो जाने के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ है।

Annexure-03

संख्या—385 / 81—4—2020—852 / 97

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
वाइल्ड लाइफ डिवीजन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—4 लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2020

विषयः— हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उ0प्र0 राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 04.11.2019 में लिये गये निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में सम्पन्न उ0प्र0 राज्य वन्यजीव परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04.11.2019 में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श के दौरान निम्न निर्णय लिये गयेः—

"मा0 राज्य वन्यजीव बोर्ड की विगत बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के सम्बन्ध में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की रिपोर्ट पर मा0 बोर्ड ने व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त रिपोर्ट की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा निर्देश दिये कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के सीमा के rationalization सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को भेजा जाए।"

2— अतः इस सम्बन्ध में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के सुव्यवस्थीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रस्ताव पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु यथावश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

Recd
5/2-20

My Comp/Hp/vv/Go-1